कार्यालय,

संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)

दूरभाष कमांक 0771–3510989 ईमेल jdeduraipur@gmail.com

आदेश

क्र./सतर्कता/निलंबन/एफ–124/624 GBD/2026/3534 रायपुर, दिनांक 03 AUG 2026

जिला शिक्षा अधिकारी गरियबांद के पत्र क्र./4192/जि.शि.अ./स्था.03/सतर्कता/निलंबन प्रस्ताव/2026 गरियाबंद, दिनांक 01.08.2026, के साथ संलग्न विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर, जिला गरियाबंद के पत्र क्रमांक/953/वि.ख.शि.अ./स्था./2026 मैनपुर, दिनांक 01.08.2026 के अनुसार दिनांक 01.08.2026 को वेब न्यूज में श्री कमल सिंह दीवान, शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला देवझर अमली, वि.ख.–मैनपुर का स्कूल के कार्यालय में बैठकर शराब का सेवन एवं चखना खाते वीडियो एवं समाचार वायरल हुआ है जिसमें श्री कमल सिंह दीवान, शिक्षक एल.बी. का विद्यालय के कार्यालय में बैठकर शराब सेवन एवं चखना खाना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है। श्री कमल सिंह दीवान, शिक्षक एल.बी. का उक्त कृत्य शिक्षकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही/स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–3 के विपरीत है।

अतः श्री कमल सिंह दीवान, शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा.शाला देवझर अमली, वि.ख. मैनपुर, जिला गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री कमल सिंह दीवान का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) नियत किया जाता है। उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(संजीव श्रीवास्तव)
संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./सतर्कता/निलंबन/एफ–124/624 GBD/2026/3535 रायपुर, दिनांक 03 AUG 2026

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला–गरियाबंद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी–मैनपुर, जिला–गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित एवं आदेश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को आदेश तत्काल तामिल कराकर, तामिली प्रति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. प्रधान पाठक, शा.पू.मा.शाला देवझर अमली, वि.ख. मैनपुर, जिला गरियाबंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यालयीन स्था.–2, को सूचनार्थ।
7. श्री कमल सिंह दीवान, शिक्षक एल.बी. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग–रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner